बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–4–37/2015 1597 /पटना, दिनांक :– 30.9.2020

श्री दीनबंधु पाठक, तदेन सहायक अभियंता का संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य विभाग हो जाने कारण उनके विरूद्ध भवन प्रमंडल, नवादा में पदस्थापन अवधि में गया जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत् नारदीगंज थाना के चहारदिवारी के निर्माण कार्य में अनियमितता के लिए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 5390 दिनांक 26.05.2015 द्वारा आरोप, श्री पाठक का स्पष्टीकरण एवं विभागीय मंतव्य ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (वर्ष 2005–06) के आलोक में श्री पाठक के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री पाठक के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री पाठक के विरूद्ध विभाग के स्तर से आरोप पत्र प्रपत्र 'क' को पुर्नगठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2375 अनु० दिनांक 29.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उज्जवल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री पाठक के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में कुल चार आरोप गठित किये गये, जो निम्नवत् है:–

(i) राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत निर्मित नारदीगंज थाना के चहारदीवारी का निर्माण वर्त्तमान स्थल से 25 फीट और पिछे हट कर एवं 6 फीट गहराई के बजाय 12 फीट गहराई से निर्माण कराया जाना चाहिए था, जो नहीं कराया गया। श्री पाठक द्वारा इस मामले में कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया और न हीं निर्माण कार्य के समय योजना का पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता की जांच स्थल पर जाकर किया गया। भुगतान विपत्र बिना स्थल सत्यापन के ही तैयार किया गया।

(ii) इस योजना के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निर्माण स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया।

(iii) तकनीकी प्रतिवेदन में नारदीगंज थाना को पंचाने नदी के बेड में स्थित होने का उल्लेख नहीं किया गया। योजना कार्यान्वयन के दौरान गुणवत्ता जांच के साथ तकनीकी वास्तविकता का निरीक्षण नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकारी राशि का अपव्यय हुआ।

(iv) इस योजना का स्थलीय आवश्यकताओं से भिन्न प्राक्कलन तैयार किया गया।

4. कालान्तर में श्री पाठक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के स्थानांतरण/सेवानिवृत होने के कारण कार्यालय आदेश सं0–240 दिनांक–20.10.2017, कार्यालय आदेश सं0–307 दिनांक–03.05.2017, कार्यालय आदेश सं0–32 दिनांक–11.05.2018 एवं कार्यालय आदेश सं0–2 दिनांक–25.02.2019 द्वारा क्रमशः श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–1, श्री राजीव रंजन शर्मा, मुख्य अभियंता–1, श्री सुभाष चन्द्र, मुख्य अभियंता–1 एवं श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता–1 को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

5. साथ ही कार्यालय आदेश सं0–200 दिनांक–06.10.2016 द्वारा श्री पाठक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नामित श्री उज्जवल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

6. श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता–1 –सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5337 अनु0 दिनांक 18.12.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री पाठक के विरूद्ध गठित आरोप सं0–1, 2 एवं 4 को प्रमाणित पाया गया तथा आरोप सं0–3 को अप्रमाणित पाया गया।

7. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री पाठक से विभागीय पत्रांक 3761 अनु0 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रमाणित आरोपों पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

8. इस बीच श्री पाठक का दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध अधिसूचना ज्ञापांक–2375 अनु० दिनांक 29.07.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना सं0–3759 दिनांक 31.12.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

9. श्री पाठक द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक–14.02.2020 समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत नादरीगंज थाना के चार दिवारी के कार्य से सम्बंधित किसी भी कागजात पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। इस योजना से वे बिलकूल अलग थे। इस योजना की जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, नवादा एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रखंड, नवादा की थी।

10. श्री पाठक के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी और पाया गया कि श्री पाठक के विरूद्ध गठित आरोप सं0–2 एवं 4 में इस योजना का स्थलीय आवश्यकताओं से भिन्न एवं बिना स्थल निरीक्षण किये प्राक्कलन तैयार करने का भी आरोप गठित है, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है। इस आरोप के संदर्भ में श्री पाठक के द्वितीय बचाव बयान में कुछ नहीं कहा गया है। जॉच प्रतिवेदन एवं भवन निर्माण विभाग के स्तर से अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय तकनीकी समिति के मंतव्य दिनांक 26.11.2014 से स्पष्ट है कि श्री पाठक प्रश्नगत योजना के प्राक्कलन निर्माण से संबंधित है। विभागीय तकनीकी समिति के मंतव्य के अनुसार भवन का चयनित स्थल तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं था। प्रशासन द्वारा थाना भवन की सुरक्षा हेतु चिन्हित स्थान पर चारदिवारी निर्माण हेतु निदेश दिया गया था। ऐसी स्थिति में संभावित बाढ़ को घ्यान में रखते हुये स्थल का सूक्ष्म अध्ययन के उपरान्त विशिष्टियों में परिवर्तन के साथ प्राक्कलन का गठन किया जाना चाहिए था। साथ ही प्राक्कलन के तकनीकी प्रतिवेदन मे भी इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए था, ताकि तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति के सक्षम पदाधिकारी भी वस्तुस्थिति से अवगत हो सके, किन्तु श्री पाठक द्वारा ऐसा नहीं किया गया। स्पष्ट है कि श्री पाठक द्वारा स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्राक्कलन गठित नहीं कर अपने दायित्व का सही निवर्हन नहीं किया गया है। अतः इस आधार पर श्री पाठक का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

11. श्री पाठक को एक अन्य मामले में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–622 दिनांक–25.02.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत पेंशन से अगले 10 वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति संसूचित की गयी है।

12. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री दीनबन्धु पाठक, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रश्नगत मामले में द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें उक्त कंडिका–11 में उल्लेखित शास्ति के अतिरिक्त प्रश्नगत् मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत पेंशन से अगले 5 वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

13. श्री पाठक के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 999 अनु0 दिनांक 28.05.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 1400 दिनांक 18.09.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री दीनबन्धु पाठक, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को उक्त कंडिका–11 में उल्लेखित शास्ति के अतिरिक्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत **पेंशन से अगले 5 वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती** की शास्ति अधिरोपित अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/9/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–37/2015 1598 /पटना, दिनांक :– 30.9.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/9/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–37/2015 1598 /पटना, दिनांक :– 30.9.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सासाराम को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–37/2015 1598 /पटना, दिनांक :– 30.9.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 1400 दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–37/2015 1598 /पटना, दिनांक :– 30.9.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री दीनबंधु पाठक, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–मोहल्ला–वन्धु भवन कलब रोड, पोस्ट–औरंगाबाद, थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद, पिन कोड–824101, मोबाईल नंम्बर–7717704419/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2020

अपर सचिव